...संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल
के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं ।
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है।
पत्रावली दिनांक 29.7.19 को पेश हो ।

29/7/19 - पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/उत्तरवादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/उत्तरवादी
अनुपस्थित
आदेश मः बहस
आगामी पेशी दिनांक 22.8.19
को पेश हो ।

22-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित मौजूद बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अन्तिम डिक्री जारी की गई। निर्णय व डिक्री शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 380/2018

1 हरवीर सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह आयु 9 वर्ष नाबालिग जरिये वादमित्र हरजीत कौर धर्मपत्नि तरसेम सिंह आयु 35 वर्ष जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2, रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 तरसेम सिंह पुत्र स्व श्री लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2, रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 लाभ सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2, रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद कुमार पारिक अधिवक्ता — वादी
2. श्री रामकुमर कस्वां अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.08.2019

वादी द्वारा जरिये माता प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी की वर्तमान में आयु 9 वर्ष है तथा वादी अवयस्क है। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र जरिये वादमित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 लाभ सिंह वादी का दादा है।

प्रतिवादी संख्या 2 के एक पुत्र संतान प्रतिवादी संख्या 1 व एक पुत्री गुरदास कौर थी जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री गुरदास कौर अविवाहित फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 की धर्मपत्नि का भी देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का दादा है, के नाम चक 20 एच.एम.एच. के खाता संख्या 250/208 जमाबंदी सम्वत 2074--2077 के पत्थर नम्बर 119/285 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 19/2/.127, 20/2/.127, 21, 22/.177 तादादी 0.684 हैक्टर नहरी, चक 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 107/87 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के पत्थर नम्बर 123/297 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 23 तादादी 2.024 हैक्टर नहरी अनकमांड मय गैरमुमकिन खाला रास्ता व इसी चक 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 106/88 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के पत्थर नम्बर 122/297 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 25, पत्थर नम्बर 122/298 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 1, 2 तादादी 3.795 हैक्टर कुल तादादी 6.503 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को उनके पिता से प्राप्त कृषि भूमि है जो पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का सहदायिक होने के कारण जन्मतः ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। प्रमाणित प्रतिलिपियां जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 2 जो कि काफी वृद्ध अवस्था में है तथा उक्त कृषि भूमि की सार संभाल प्रतिवादी संख्या 1 ही करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि बुरे व्यसनों का शिकार है तथा गलत प्रवृति वाले लोगों के साथ सम्बंध रखता है इस कारण वादी की माता

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Scanned by CamScanner

द्वारा शोक लोक करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की माता को वादी सहित घर से निकाल दिया जिसकी बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा पंचायत भी की गई जिसमें वादी व वादी की माता को उनको हिस्सा अनुसार उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से चक 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 107/87 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के पत्थर नम्बर 123/297 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 23 तादादी 2.024 हैक्टर नहरी अनकमाड मय गैरमुमकिन खाला रास्ता की कृषि भूमि दे दी गई जिस पर वादी हिस्सा लेकर काश्त करवा रहा है। उक्त कृषि भूमि वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है।

चक 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 107/87 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के पत्थर नम्बर 123/297 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 23 तादादी 2.024 हैक्टर नहरी अनकमाड मय गैरमुमकिन खाला रास्ता की भूमि वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है लेकिन उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 की वृद्धावस्था एवं बीमारी का फायदा उठाकर अन्य दीगर लोगों के बहकावे में आकर उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु कटिबद्ध है। ऐसी स्थिति में वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि चक 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 107/87 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के पत्थर नम्बर 123/297 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 23 तादादी 2.024 हैक्टर नहरी अनकमांड मय गैरमुमकिन खाला रास्ता की भूमि का एकल खातेदार है।

वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे उसके आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख में उसके नाम अमलदरामद करवा देवें तो वे ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा वाद में याचित अनुतोष का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह वाद पत्र 2/–रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वादी चक 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 107/87 जमाबंदी सम्वत 2073/76 के पत्थर नम्बर 123/297 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 23 तादादी 2.024 हैक्टर नहरी अनकमांड मय गैरमुमकिन खाला रास्ता की भूमि का एकल खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर वादी उक्त भूमि का अपने नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 01.01.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

द्वारा पढने समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य है। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं इसलिए लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व परिवार के मौजिज सदस्यों की समझाईश से राजीनामा हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का दादा है, के नाम चक 20 एच.एम.एच. के खाता संख्या 250/208 जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के पत्थर नम्बर 119/285 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 19/2/.127, 20/2/.127, 21, 22/.177 तादादी 0.684 हैक्टर नहरी, चक 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 107/87 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के पत्थर नम्बर 123/297 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 23 तादादी 2.024 हैक्टर नहरी अनकमांड मय गैरमुमकिन खाला रास्ता व इसी चक 18 एस.एस. डब्ल्यू. के खाता संख्या 106/88 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के पत्थर नम्बर 122/297 मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 25, पत्थर नम्बर 122/298 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 1, 2 तादादी 3.795 हैक्टर कुल तादादी 6.503 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण ने निम्नलिखित तरीका से अपनी अपनी कृषि भूमि का अच्छी मंदी के लिहाज से विभाजन कर लिया है तथा उक्त विभाजन मुताबिक ही पक्षकारान अपना अपना विभाजन करवाने हेतु सहमत है। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान निम्न तरीका से डिक्री प्राप्त करवाने हेतु सहमत हैं :–

(क) वादी हरवीर सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :– चक नम्बर 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 107/87 के पत्थर नम्बर 123/297 किला नम्बर 16 ता 23 की 2.024 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :– चक नम्बर 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता नम्बर 106/88 के पत्थर नम्बर 122/297 के किला नम्बर 21 ता 25 पत्थर नम्बर 122/298 किला नम्बर 1, 2 की कुल 1.771 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 लाभ सिंह को प्राप्त कृषि भूमि चक नम्बर 20 एस.एम.एच. के पत्थर नम्बर 119/285 किला नम्बर 19/2/.127, 20/2/.127, 21, 22.177 की 0.684 हैक्टर, चक नम्बर 18 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 122/297 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 की 2.024 हैक्टर।

इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने हेतु सहमत हैं। लिहाजा यह राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य कृषि भूमि का मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनाजात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 4

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र की चरण संख्या 3 में सरजा खानदान का वंशवृक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादी की दो बहनें जसनप्रीत कौर व खुशदीप कौर को भी दर्शाया गया है, जिनको अपनें वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया जाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में चक नम्बर 18 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 106/88 में किला वाईज राजीनामा प्रस्तुत कर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है, खाता विभाजन में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी सूरत में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा कुसंयोतन से प्रस्तुत किया होना पाया जानें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से जद्दी जायदाद में से हिस्सा प्राप्त करनें हेतु प्रस्तुत वाद पत्र में मुताबिक वंशवृक्ष समस्त पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाये जानें तथा खाता विभाजन के अनुतोष में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाये जानें के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पोषणीय नहीं पाये जानें के कारण वादी का वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 380 / 2018

1 हरवीर सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह आयु 9 वर्ष नाबालिग जरिये वादमित्र हरजीत कौर धर्मपत्नि तरसेम सिंह आयु 35 वर्ष जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2, रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 तरसेम सिंह पुत्र स्व. श्री लाम सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2, रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 लाभ सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर 2, रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

वादी की और से श्री विनोद पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 22.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से जद्दी जायदाद में से हिस्सा प्राप्त करनें हेतु प्रस्तुत वाद पत्र में मुताबिक वंशवृक्ष समस्त पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाये जानें तथा खाता विभाजन के अनुतोष में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाये जानें के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पोषणीय नहीं पाये जानें के कारण वादी का वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –	योग	– –
योग	– –		

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 15:29:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: